सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 29, मंगलवार, *शाके* 1945-मार्च 19, 2024
Phalguna 29, Tuesday , Saka 1945- March 19 , 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर, जिला चूरू

प्रपत्र - 7

(धारा - 11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत)

नियम 16 के उपनियम - (1) देखें

प्रारम्भिक अधिसूचना

चूरू, मार्च 15, 2024

संख्या 6155620 :-भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम साहवा से गुरूनानक टीला गुरूद्वारा तक राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत सड़क मार्ग (ग्रामीण सड़क) विकसित किये जाने हेतु लोक प्रयोजन के लिए जिला- चूरू, तहसील - तारानगर के संलग्न अनुसूची की सम्बद्ध सारणी के कॉलम 1 से 6 तक में उल्लेखित एक राजस्व ग्राम साहवा में कुल चार (04) खसरा नम्बरों का आंशिक/ सम्पूर्ण भाग का 0.7415 हेक्टयर क्षेत्रफल भूमि की जनहित में आवश्यकता है। जिसे अधिग्रहित किया जाना अतिआवश्यक है।

राजस्थान भूमि-अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन की प्रक्रिया विहित है, परन्तु इस संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत साहवा से परामर्श किये जाने पर यह जाहिर किया गया है कि उक्त कार्य क्षेत्र में कोई निर्माण अथवा आवास नहीं होने से पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं होगी तथा विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है। इसलिए सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन भी नहीं किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त परियोजना के लिये जिला चूरू, तहसील- तारानगर के ग्राम साहवा में कुल 0.74512 हेक्टयर भूमि अधिसूचित की जाती है।

अधिगृहीत की जाने वाली भूमि की अनुसूची से सम्बद्ध सारणी (सार संक्षेप)

क्रम संख्या	जिला	तहसील	राजस्व-ग्राम/नगर का नाम	कुल खसरों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टयर में)
1	2	3	4	5	6
1	चूरू	तारानगर	सहवा	4	0.7415

भूमि योजना का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर, जिला चूरू के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकता है।

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा - 12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग , तारानगर एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने श्रमिकों सहित यदि कोई हो, को प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने तथा तलमापन करने, अवमृदा के भीतर खोदने या भेदन करने तथा वह समस्त कार्य, जो धारा 12 में वणिर्त है, को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा -11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति प्रांरभिक अधिसूचन में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई सव्यवहार नहीं करेगा न ही किसी से करवायेगा अथवा क्रय/विक्रय, रहन , स्वरूप/शीर्षक/ भूउपयोग परिवर्तन संबंधी कार्य, इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात बिना भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर जिला चूरू की पूर्वानुमति के नहीं करेगा।

इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस में यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को भूमि से संबंधित कोई आपति है तो अधिनियम की धारा - 15 के अंतर्गत आपति भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।

अतः एतद् द्वार यह अधिसूचित किया जाता है कि संलग्न अनुसूची में उल्लेखित भूमि राज्य-सरकार द्वारा, प्रस्तावित परियोजना ग्ारम साहवा से गुरूनानक टीला गुरूद्वारा तक सड़क निर्माण/विकास के लिए जहनति में, अर्जित किया जाना अत्यावश्यक है।

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
(पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थोन, जयपुर ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।